वेतन मामला तत्काल/तिथीबद्व

प्रेषक

निदेशक सकैण्डरी शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला ।

सेवा में

1. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी ।
2. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ।
3. निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0, हरियाणा, गुडगांव ।
4. राज्य के सभी प्राचार्य डाईट/गैटिज ।

अशा0 क0 12/69-2016 प्रशा0 (2)
दिनांक 04-10-2018

विषय :- **HRMS Portal पर Pending Salary Report के अर्न्तगत अधिकारियों/ कर्मचारियों के लम्बित वेतन सम्बन्धित मामलो का निपटान करने बारे।**

::::::::::::

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के ई-मेल दिनांक 01-10-2018 व 03-10-2018 के सन्दर्भ में।

विष्यांकित मामले में आपको सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का HRMS पोर्टल पर डाटा पूर्ण रूप से update न होने के कारण लम्बे समय से वेतन ड्रा नही को रहा, के मामले को गम्भीरता से लिया है। जिस के लिये HRMS पर Pending Salary Report के अर्न्तगत सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करवाते हुए यह निर्देश दिये गये है कि सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को 30-09-2018 तक का पूर्ण वेतन हर हालात मे दिया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का किसी कारण से किसी दिन/मास का वेतन नही दिया जाना बनता है तो उसके कारण को भी HRMS के सम्बन्धित Section में दर्ज करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/डी0डी0ओ0 को निर्देश जारी करते हुए सुनिश्चित करें कि उनके अर्न्तगत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का मास सितम्बर/2018 तक या उससे पहले का वेतन दिनांक 10-10-2018 तक हर हालात में ड्रा किया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का किसी कारण से (जैसे बिना वेतन अवकाश, सेवा त्यागपत्र, सेवानिवृति व किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति इत्यादि के कारण) वेतन

नही दिया जाना बनता है तो उस कारण को भी HRMS के सम्बन्धित Section में update करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यदि तकनीकी कारण से किसी अधिकारी/कर्मचारी का वेतन ड्रा नही पा जा रहा है तो उसकी शिकायत HRMS के Helpdesk पर पंजीकृत करवाते हुए, उसकी जिलावार सूची निदेशालय को दिनांक 08–10–2018 तक अवश्य भेजें। ताकि Pending Salary Report के अर्न्तगत आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों का समय पर निपटान किया जा सकें। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का वेतन उसके MIS Profile पूरा न होने के कारण न रोका जाए क्योंकि अभी तक दोनो पोर्टल अलग–2 कार्य कर रहें है।

इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आया है कि अधिकारी/कर्मचारी के स्थानातंरण/पदोन्नत आदेशो को HRMS पोर्टल पर Update करते समय गलत पदसज्ञां व गलत स्कूल/कार्यालय का चयन कर लिया जाता है जिस कारण सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन ड्रा नही हो पाता। अतः इस बारे HRMS पोर्टल पर Updattion का कार्य करते समय ध्यान रखा जाऐं।

यदि किसी डी0डी0ओ0 द्वारा उसके अधिनस्थ अधिकारी/कर्मचारी के वेतन के मामले का निपटान समय पर नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित डी0डी0ओ0 का वेतन भी मामले के निपटान तक रोक दिया जाये, **जिसके लिए वह स्वंय निम्मेवार होंगें।** इस बारे निदेशालय को दिनांक 11–10–2018 तक यह प्रमाण पत्र भेजें कि उनके जिले में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का वेतन 30–09–2018 तक लम्बित नही है।

कृप्या इसे उच्च प्राथमिकता देने का कष्ट करें।

5/10/18

सहायक निदेशक–कम–नोडल अधिकारी (HRMS)
कृतेः निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।